खुली पेश हुई। उभयपक्ष अतिरिक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने O7 Rule 11 प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25/6/97 को बेचान किया गया। उक्त भूमि का प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरण किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का 4/4/2001 को भाईदोज के पर्व में नाम की घोषणा को जाकर खाता अलग कायम किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज हेतु निवेदन किया।

वकील वादी ने प्रार्थनापत्र के जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी 25/6/97 को नाबालिग था तथा नाबालिग द्वारा बैनामा नहीं करवाया जा सकता है उक्त दस्तावेज शून्य है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वकील वादी ने RRT 2010(1) Page 64 DB-RP एवं RRT 2010(1) Page 262 HC इत्यादि प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र खारिज करने निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21/2/2023 2023(1) RRT 415 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बैनामे के निरस्तीकरण हेतु किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। अतः वाद वादी पोषणीय नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। चूंकि वादी द्वारा जारिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25/6/97 को बेचान किया जा चुका है तथा उक्त दस्तावेज की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। अतः प्रस्तुत प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र O7 Rule 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अतः O7 Rule 11 स्वीकार किया जाकर वादवादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.20 17:46:42 IST
Reason: SelfAttested